कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा– 2022 में श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक–शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 02.09.2023 के द्वारा **शारीरिक शिक्षा अध्यापक (नॉन टीएसपी क्षेत्र)** के पद पर अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों को जैसलमेर जिला आंवटित करने पर निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु **दिनांक 08.09.2023 एवं 09.09.2023** को परामर्श शिविर आयोजन पश्चात् एवं श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक–शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021–22 दिनांक 08.10.2023 के द्वारा प्रशैक्षिक/खेल दस्तावेजो की संबंधित विश्वविधालय/संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की सहमति के आधार पर **शारीरिक शिक्षा अध्यापक** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम –2017 के अनुसार लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के परीवीक्षाकाल (प्रोबेशन) पर राज्य सरकार के आदेशानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक पर अथवा पूर्व में सेवारत (समान पद न हो) होने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प अनुसार विद्यमान वेतनमान अन्तर्गत उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता हैं।

संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें तथा किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपार्ट सही नहीं पाये जाने के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता हैं तो संबंधित संस्था प्रधान के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावें।
5. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने सम्बन्धी वचनबंधता **(Undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें।
7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
8. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं मान्य नही पाए जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Signature valid

जि.शि.अ.(मु.)मा. जैसलमेर

Digitally signed by Ram Niwas Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.09 12:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4872218

9. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमूनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नही होगा।
10. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौती नियमानुसार होगी।
11. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।
12. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक–एफ.12(9)एफडी(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार देय होगा।
13. नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
14. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र(फोटो) चस्पा है।
15. **कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।**

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 30.10..2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

संलग्न– पदस्थापन आदेश (क्र.सं. 1 से 2 तक)

(रामनिवास शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर

क्रमांकः–प.1(16)जिशिअ/मु/मा/जैसल/संस्था–1/शाशि. अध्यापक–2022/नियु.पदस्थापन/2023/ 332 दिनांक–09.10.2023

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर
2. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक, (स्कूल शिक्षा) जोधपुर संभाग–जोधपुर
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) जिला– जैसलमेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा जैसलमेर।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला– जैसलमेर।
8. संबंधित प्रधानाचार्य/पी.ई.ई.ओ..
9. संबंधित अभ्यर्थी...

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर

Signature valid
Digitally signed by Ram Niwas Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.09 12:18:00 IST
Reason: Approved

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर

शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में गैर–अनुसूचित क्षेत्र (नॉन–टीएसपी) हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों की आयोजित परामर्श शिविर दिनांक 08.09.2023 एवं 09.09.2023 के आधार पर पदस्थापन

क्रमांकः–प.1(16)जिशिअ/मु/मा/जैसल/संस्था–1/शाशि. अध्यापक–2022/नियु.पदस्थापन/2023/ दिनांक–09.10.2023

SR. NO.	ROLLNO	NEW RANK	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_ CAT	SEL_ CAT	BLOCK	Name of School (Posting Palace)	Photo
1	728788	688	JUJAR SINGH	ASHU SINGH	01-Oct-98	Male	GEN-EWS	—	GEN	MOHANGARH	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DEUNGA (472227) (08160106301)	
2	731498	2786	KANISTHA	RAJENDER SINGH	07-Jul-91	Female	OBC	—	GEN	POKARAN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALARIYA (220474)(08160201207)	

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर

Signature valid

Digitally signed by Ram Niwas Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.09 12:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4872218